::आदेश::

मैं डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून गृह मत्रांलय भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड शासन की लॉक डाउन सम्बन्धी अधिसूचना एवं Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 के प्रभावी होने के फलस्वरूप इस विषयक प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून स्थित समस्त थोक विक्रेताओ एवं खुदरा व्यापारियो को आदेशित करता हूँ कि निम्नांकित निर्देशो का जनहित में अनुपालन कर लिया जायः–

1. सभी व्यापारी आवश्यक वस्तुओ की मूल्य सूची अपने प्रतिष्ठानो के अग्रभाग की ओर पठनीय स्थल पर अवश्य प्रदर्शित करे, जिसमें पैकेज आइटम एवं खुली वस्तुओ का मूल्य सुस्पष्ट अंकित हो।
2. सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध स्टॉक की सूचना अनिवार्य रूप से चस्पा रखेगे।
3. आवश्यक वस्तुओं का एम0आर0पी0 पर ही वितरण करेंगे तथा किसी भी दशा में ग्राहको से अधिक मूल्य नहीं लेंगे।
4. सभी व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा।
5. आवश्यक वस्तु का अनावश्यक रूप से भण्डारण वर्जित रहेगा तथा उपलब्धता होने पर ग्राहक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।
6. सभी व्यापारी सामग्री वितरण के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी सभी निर्देशों का अनुपालन करेगे।
7. सभी व्यापारियो को दुकान एवं प्रतिष्ठान खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये समय सीमा व शर्तो का अवश्य अनुपालन करना होगा।

अतः उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उल्लघंन की स्थिति में उक्त वर्णित अधिनियमो एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

Scanned with CamScanner